-:प्रेस नोट दिनांक 30.01.25:-
थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली पुलिस द्वारा अपहरण करने वाले हिस्ट्रीशीटर को अपहृत व्यक्ति व एक तमंचा 315 बोर मय 05 जिंदा कारतूस के सहित किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 30.01.25 को वादी श्री सौरभ सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह नि0ग्रा0 गोविन्दपुर थाना फरीदपुर बरेली की तहरीरी सूचना बाबत वादी के भाई के साथ मारपीट करने, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व वादी के भाई के अपहरण करने के सम्बन्ध प्राप्त हुयी जिसके आधार पर थाना फतेहगंज पूर्वी पर मु0अ0सं0 25/2025 धारा 115(2),352,351(2),351(3) ,140(3) BNS बनाम संजीव पुत्र रामकुमार, अंकित पुत्र रामकुमार, अरूण पुत्र रामकुमार व रामकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल नि0 ग्रा0 भदपुरा हाल निवासी नकट ओवरब्रिज टिसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली के पंजीकृत किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी के नेतृत्व में फतेहगंज पूर्वी पुलिस टीम द्वारा थाना फतेहगंज पूर्वी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2025 धारा 115(2),352,351(2),351(3),140(3) बीएनएस से सम्बन्धित अपर्हत व्यक्ति रोहित पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 ग्रा0 गोविन्दपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली को बरामद कर अपहरण करने वाले एचएस 75/ए रामकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी भदपुरा हाल पता अण्डरब्रिज के पास टिसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली उम्र करीब 58 वर्ष को मय एक नाजायज तमंचा 315 बोर मय 05 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ-

बरामद अपर्हत रोहित सिंह पुत्र पवन सिंह नि0 ग्रा0 गोविन्दपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली द्वारा बताया गया कि साहब कल दिनांक 29.01.25 को मैं शारदा प्लाई वुड फैक्ट्री में अपने पैसे का हिसाब करने आया था तो मुझे अंकित ,अरूण ,संजीव पुत्रगण रामकुमार व रामकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम भदपुरा हाल निवासी अन्डर ब्रिज के पास टिसुआ ने मुझे फैक्टी के गेट के सामने पकड लिया और मेरे साथ गाली गलौच मारपीट करने लगे, तो मै अपनी जान बचाकर अपनी मो0सा0 से भागा तो इन लोगो ने अपनी स्विफ्ट डिजायर गाडी से मेरा पीछा करते हुए मुझे प्रधान ढाबा फरीदपुर पर पकड लिया ओर वहां भी मेरे साथ गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे अपनी स्विफ्ट डिजायर गाडी नं0- UP 15 AS 8900 मे डाल कर यहां अपने घर ले आये और रामकुमार ने कहा कि तुमने मेरे लडके पर मोबाईल गुम करने का आरोप लगाया है, अब मै तुझे फर्जी मुकदमे मे फंसा कर जेल भिजवाऊंगा और रामकुमार ने मुझसे कहा कि तमन्चा अपने हाथ में पकडो नही तो जान से मार दूंगा। रामकुमार ने मेरे हाथ मे तमन्चा देकर विडियो बना ली थी।

पुलिस द्वारा रामकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी भदपुरा थाना फतेहगंज पूर्वी बरेली हाल निवासी अन्डर ब्रिज के पास टिसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली से सख्ती से पूछताछ की गयी तो रामकुमार उपरोक्त ने बताया कि साहब जो तमन्चा मैंने आपको दिया है यह तमन्चा मेरा ही है। मैने गुस्से व भावावेश मे आकर व रोहित को डरा धमकाकर तमन्चा रोहित के हाथ मे पकडाकर विडियो बना ली जिससे आपको विश्वास हो जाये कि तमन्चा रोहित का ही है, क्योंकि इसने मेरे लडके संजीव पर मोबाईल गुम करने का आरोप लगाया था।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

  1. एचएस 75/ए रामकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी भदपुरा हाल पता अण्डरब्रिज के पास टिसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली उम्र करीब 58 वर्ष।

- **अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

  1.मु0अ0सं0 08/95 धारा 395/397/458 भादवि
  2.मु0अ0सं0 59/96 धारा 110 जी सीआरपीसी
  3.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 115(2),352,351(2),351(3) ,140(3) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

- **अपर्हत/बरामद व्यक्ति का विवरण-**

  रोहित पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 ग्रा0 गोविन्दपुर थाना फरीदपुर जिला बरेली

- **बरामदगी -**

  एक तमंचा नाजायज 315 बोर व 05 जिंदा कारतूस नाजायज 315 बोर

- **पुलिस टीम -**

  1.प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार, थाना फतेगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
  2.उ0नि0 सुनील कुमार चौधरी, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
  3.उ0न0 रोहित सिंह,थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।
  3.का0 3861 गौतम सिंह, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।